

19/07/25

पतावली के दृष्टि अधिवक्ता
घर में। वैसे लक्ष्य करने
अवसर मिले जाने पर भी
अधिवक्ता इस कोई आपबीती
नहीं की गई थी न्यायालय के
आदेशों की पालना नहीं
किये जाने पर बाद पर
इसी सल पर खारिज किया
जाता है पतावली केसला
बेकल बाद नकलील सारिल
फरमाए थे

